राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या – 2335/2007/हनुमानगढ़.

संजय कुमार पुत्र श्री नेतराम जाति विश्नोई
निवासी शेरेका तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़. .....प्रार्थी.

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान.
2. महेन्द्र कुमार 3. ओमप्रकाश 4. विजेन्द्र कुमार
   पुत्रगण श्री नेतराम जाति विश्नोई
   निवासी शेरेका तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़. .....अप्रार्थीगण.

एकलपीठ
श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री विजय सोनी, अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से.

श्री जमील जई,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से.

निर्णय दिनांक : 29/01/2014

निर्णय

यह निगरानी प्रार्थी द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक), हनुमानगढ़ (जिसे आगे **'कलेक्टर (मुद्रांक)'** कहा जायेगा) के प्रकरण संख्या 1099/06 में पारित किये गये निर्णय दिनांक 21.8.2007 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 65 के तहत प्रस्तुत की गई है। कलेक्टर (मुद्रांक) ने उक्त आदेश से उप पंजीयक हनुमानगढ़ द्वारा प्रेषित रेफरेंस को यथावत स्वीकार करते हुए प्रार्थी से रूपये 60,705/– वसूल किये जाने के आदेश दिये गये हैं।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 ने अपने स्वामित्व की तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ स्थित सम्पत्ति चक 1 एच.एम.एच. रकबा 4.048 हैक्टर व 8 के.एस.पी. रकबा 30.106 हैक्टर में से स्वयं का हिस्सा प्रार्थी के पक्ष में त्याग करते हुए निष्पादित दस्तावेज वास्ते पंजीयन दिनांक 20.1.98 को उप पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत किया। उप पंजीयक द्वारा उक्त दस्तावेज को हकत्याग का मानते हुए तदनुसार पंजीयन शुल्क रूपये 150/– वसूल करते हुए उसी दिन पंजीबद्ध कर पक्षकारों को लौटा दिया गया। तत्पश्चात विभागीय निरीक्षण में उक्त दस्तावेज पर सम्पत्ति की मालियत की 1 प्रतिशत की दर से पंजीयन शुल्क की देयता का आक्षेप किया गया। उक्त आक्षेप की पालना में प्रार्थी द्वारा कमी मुद्रांक शुल्क जमा नहीं कराये जाने पर उप पंजीयक द्वारा मुद्रांक अधिनियम की धारा 51(5) के तहत रेफरेन्स कलेक्टर (मुद्रांक) को प्रेषित किया गया। कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा बावजूद सूचना

लगातार.....2

प्रार्थी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही करते हुए निगरानी अधीन आदेश दिनांक 21.8.2007 से रेफरेंस यथावत स्वीकार करते हुए प्रार्थी से कमी पंजीयन शुल्क रूपये 60,602/— व शास्ति रूपये 103/— कुल रूपये 60,705/— वसूल किये जाने के आदेश पारित किये गये। कलेक्टर (मुद्रांक) के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना—पत्र मय शपथपत्र सहित प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा प्रार्थी को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किये बगैर, केवल दैनिक अखबार में प्रकाशन को तामील मानते हुए रेफरेन्स यथावत स्वीकार करते हुए प्रार्थी के विरूद्ध भारी मांग कायम किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। अग्रिम कथन किया कि कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा निगरानी अधीन आदेश में प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों का भी विवेचन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में कलेक्टर (मुद्रांक) का आदेश स्पीकिंग ऑर्डर की श्रेणी में नहीं आने से अपास्त किये जाने योग्य है।

विद्वान अभिभाषक का यह भी कहना है कि निगरानी पेश करने में हुए विलम्ब के यथेष्ट एवं क्षमा योग्य कारणों सहित मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर दिया गया है। अतः मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में उल्लेखित कारणों को पर्याप्त एवं संतोषप्रद मानते हुए प्रार्थी की निगरानी अन्दर मियाद स्वीकार की जावे। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा प्रार्थी को सुनवाई हेतु जारी किये गये नोटिस एवं अखबार में प्रकाशन के बावजूद प्रार्थी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर विधि अनुसार एकतरफा कार्यवाही करते हुए आदेश पारित किया गया है। अग्रिम कथन किया कि हकत्याग के मामलों में प्रश्नगत सम्पत्ति पर 1 प्रतिशत की दर से पंजीयन शुल्क की देयता होने से विभागीय दल द्वारा तदनुसार आक्षेप किये जाने में एवं कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा रेफरेंस स्वीकार किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कलेक्टर (मुद्रांक) के निगरानी अधीन आदेश की पुष्टि करते हुए प्रार्थी की निगरानी अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

लगातार.....3

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में प्रार्थी द्वारा कलक्टर (मुद्रांक) के निर्णय दिनांक 6.8.2007 के विरूद्व प्रस्तुत निगरानी के साथ पेश किये गये मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में अंकित कारणों को पर्याप्त एवं संतोषप्रद मानते हुए निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कन्डोन किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद स्वीकार की जाती है।

प्रकरण में उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा निगरानी अधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व ना तो विवादित सम्पत्ति का स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण किया गया है एवं ना ही सम्पत्ति के हकत्यागकर्ता (अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4) को सुनवाई बाबत कोई नोटिस जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा प्रार्थी को प्रेषित नोटिस भी प्रार्थी पर तामील होना नहीं पाया जाता है। इस पर कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा दैनिक अखबार में प्रकाशन को पूर्ण तामील मानते हुए प्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर रेफरेंस स्वीकार किया गया है, जबकि पत्रावली पर उपलब्ध प्रकाशन की छायाप्रति में सुनवाई तिथि का अंकन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में तामीली पूर्ण नहीं कही जा सकती। कलेक्टर (मुद्रांक) के निगरानी अधीन आदेश के अवलोकन से पाया गया कि कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा ना तो प्रकरण के तथ्यों को विवेचित किया गया है एवं ना ही विधिक प्रावधानों की व्याख्या की गयी है, कि हकत्याग के मामलों में प्रश्नगत सम्पत्ति की मालियत पर एक प्रतिशत की दर से पंजीयन शुल्क की देयता किस प्रावधान के तहत बनती है। ऐसी स्थिति में कलेक्टर (मुद्रांक) का आदेश स्पीकिंग ऑर्डर की श्रेणी में नहीं आता है। अतः कलेक्टर (मुद्रांक) का निगरानी अधीन आदेश विधिसम्मत नहीं माना जा सकता।

परिणामतस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर (मुद्रांक) का निगरानी अधीन आदेश दिनांक 21.8.2007 अपास्त किया जाता है तथा उन्हें प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात, प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों की विस्तृत विवेचना करते हुए सम्पत्ति की मालियत निर्धारण हेतु राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 के प्रावधानों के अनुरूप जांच की जाकर विधिसम्मत आदेश पुनः पारित किया जावे। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह कलेक्टर (मुद्रांक) के समक्ष दिनांक 26.2.2014 को अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

निर्णय सुनाया गया।

(जे. आर. लोहिया)
सदस्य